केंद्रीय शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX
[केडर नियंत्रण प्राधिकारी CADRE CONTROLLING AUTHORITY]
हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय HYDERABAD GST COMMISSIONERATE
जीएसटी भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004
GST BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEER BAGH, HYDERABAD-500004

C.No.II/3/12/2018-Estt. **Date: 31.12.2018**

स्थापना आदेश (गैर-राजपत्रित) सं. 108/2018
ESTABLISHMENT ORDER (N.G.O) NO. 108/2018

विषय -:स्थापना - सेंट्रल जीएसटी के कर सहायक संवर्ग में नियुक्ति एवं तैनाती - कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा, 2016 के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थी का आबंटन– संबन्धित ।

Sub: Estt. - Appointment and Posting in the cadre of Tax Assistant of Central GST - Allocation of candidates on the basis of results of the Combined Graduate Level Examination, 2016, conducted by SSC - Regarding.

*****

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कर सहायक पद हेतु **श्री नागललपति पृथ्वी राजू,** को सेंट्रल जीएसटी, हैदराबाद / विशाखापटनम क्षेत्र के सामान्य संवर्ग में कर सहायक के रूप में, अस्थायी और अगले आदेशों तक, सातवे वेतन आयोग के मट्रिक्स लेवल – 4 में नए वेतन रु॰ 25500/- में जो पुराने वेतनमान के अनुसार रु॰ 5200 – 20200 के वेतनमान में, पे-बैंड- 1 के अंतर्गत रु॰ 2400/- के ग्रेड-पे और कर सहायक संवर्ग के लिए समय-समय पर स्वीकृत महंगाई व अन्य भत्तों के साथ है, नियुक्त किया जाता है । इनकी नियुक्ति उनके ड्यूटी पर रिपोर्ट किए जाने की तिथि से प्रभावी होगी । सेंट्रल जीएसटी के कर सहायक के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप उन्हे **हैदराबाद क्षेत्र** आवंटित किया जाता है।

Shri Nagallapati Prudhvi Raju, nominated by the Staff Selection Commission for the post of Tax Assistant of Central GST in the common cadre of Hyderabad/Visakhapatnam Zone is hereby appointed as Tax Assistant temporarily and until further orders in the new pay of Rs. 25500/- as per the Seventh CPC pay matrix Level - 4 which corresponds to pre-revised pay scale of Rs.5200 - 20200, under PB 1 with Grade Pay of Rs.2400/- and such dearness and other allowances as admissible to the Cadre of Tax Assistant from time to time. His appointment shall take effect from the date on which he reports to

duty. Consequent on his appointment as Tax Assistant of Central GST, he has been allotted to **Hyderabad Zone**.

2. उम्मीदवार केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग सी सी एस (कंडक्ट) नियम, 1965 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

The Candidate will be governed by the provisions of the Central Excise and Customs Department CCS (Conduct) Rules, 1965 as amended.

3. उपरोक्त नियुक्ति, अगले आदेशों तक, पूर्ण रूप से अस्थाई आधार पर होगी।

The above appointment will be purely on a temporary basis and until further orders.

4. "उपरोक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति, आयोग द्वारा माननीय उच्च-न्यायालय दिल्ली के समक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा OA सं॰ 2964/2017 द्वारा श्री रोहित कुमार व अन्य/ और कोई दायर मुकदमे (OAs/WPs/SLPs), आदि के मामले में पारित दिनांक 23/10/2017 के आदेश के विरुद्ध दायर होने वाली रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगी"

"The appointment of these candidates shall be subject to the final outcome of the writ Petition to be filed by the Commission before the Hon'ble High Court of Delhi against the Order dated 23/10/2017 passed by the Ld. CAT, Principal Bench, New Delhi in OA No. 2964/2017 filed by Shri Rohit Kumar and Ors/any other litigation (OAs/WPs/SLPs), as the case may be."

5. यह नियुक्ति आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

This appointment is subject to following conditions.

6. उम्मीदवार नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा। सक्षम अधिकारी के विवेक पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। परिवीक्षा अवधि और स्थायीकरण विभागीय परीक्षा के संतोषजनक समापन पर, उपरोक्त पद पर उनके स्थायीकरण पर विचार किया जाएगा।

The Candidate shall be on probation for a period of two years from the date of appointment, the period of which can be extended at the discretion of the Competent Authority. On completion of the probation period satisfactorily and on passing the Departmental Examination for confirmation, he will be considered for confirmation in the said post.

7. केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियमावली, 1965 के अनुसार उम्मीदवार की सेवाएँ, किसी एक की ओर से एक महीने के नोटिस पर, बिना कोई कारण बताए, समापनीय होंगी। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार है कि उन्हें नोटिस की अवधि के लिए अथवा उस अवधि के असमाप्त हिस्से के लिए वेतन और भत्ते के बराबर की राशि का भुगतान करके उनकी सेवाओं को वह तत्काल समाप्त करें अथवा नोटिस की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले समाप्त करें।

The Candidate's services will be terminable on one month's notice from either side in accordance with the Central Civil Service (Temporary Service) Rules, 1965, without assigning any reasons. The Appointing Authority, however, reserves the right of terminating his services forthwith or before the expiration of the stipulated period of notice by making payment to him of a sum equivalent to the pay and allowances for the period of notice or the unexpired portion thereof.

8. छुट्टी, यात्रा भत्ते तथा सेवा-शर्तों से संबन्धित सभी अन्य मामलों के संबंध में, वे लोक-सेवा की जिस शाखा के हैं, उसके लिए अनुप्रयोज्य तथा समय-समय पर लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा नियंत्रित रहेंगे।

With regard to Leave, Travelling Allowances and all other matters connected with service conditions, the Candidate will be governed by the rules and the orders in force from time to time and applicable to the branch of public service to which he may belong.

9. कार्यग्रहण करने पर उम्मीदवार को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा-शपथ लेना होगा या इस प्रभाव के सत्यनिष्ठा अभिकथन देना होगा।

On joining the post, the Candidate will be required to take an Oath of allegiance to the Constitution of India or have to make a solemn affirmation to that effect.

10. यदि उम्मीदवार स्थाई सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या तीन वर्ष की अस्थाई सेवा पूरी नहीं की हैं, तो वे उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होंगे ।

The Candidate will not be entitled to Travelling Allowance for joining the post unless he is permanent Government servant or has completed three years of temporary service.

11. भारत सरकार के अधीन सेवाओं में भर्ती के लिए लागू उपयुक्त नियमों के अनुसरण में,

In accordance with the relevant rules in force with regard to the recruitment to services under the Government of India,

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या जो, एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह कर लेता है, हालांकि पत्नी के जीवन-काल में घटित होने के कारण वह विवाह अमान्य हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केंद्र सरकार किसी व्यक्ति के संबंध में उपर्युक्त नियम के लागू होने से छूट दे सकती हैं, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसे आदेश देने के विशेष कारण हैं ।

(a) No person who has more than one wife living or who, having a spouse living, contracts to a second marriage, though such marriage is void by reason of its taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to service, provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

(ख) कोई ऐसी स्त्री, जिसकी शादी उसके पति के जीवन-काल में घटित होने के कारण से अमान्य हो या जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पत्नी उक्त विवाह के समय जीवित हो, नियुक्ति की पात्र नहीं होगी बशर्ते कि भारत सरकार ने संतुष्ट होकर कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं, उसे छूट दी है।

b) No such women whose marriage is void by reason of its taking place during the life-time of her spouse or who have married to such a person whose wife is living at the time of marriage shall be eligible for appointment in service unless the Government of India has granted exemption to such a woman in accordance with this rule after being satisfied that there are special grounds for so ordering.

12. अतः यह नियुक्ति प्रस्ताव सशर्त है कि उम्मीदवार उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करें तथा अपने उत्तर के साथ, इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में घोषणा दें। वह उपर्युक्त शर्त को पूरा नहीं करते तथा किसी कारणवश उपर्युक्त नियमों से छूट प्राप्त करना चाहता हैं तो उसे तत्काल इस आशय का अभ्यावेदन देना चाहिए। ऐसे मामले में यह नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त माना जाएगा तथा उनके अभ्यावेदन पर विचार करने पर यदि यह निर्णय किया जाता है कि उसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कर सहायक पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाएँ तो आगे की सूचना प्रेषित की जाएगी।

This offer of appointment is, therefore, conditional upon the Candidate's satisfying the requirements mentioned and furnishing declaration in the form enclosed to this letter, along with his reply. In case, he doesn't fulfill the above conditions and he desired to be exempted from the above mentioned rules for any reason, he should make a representation in this behalf immediately. This offer of appointment should, in that case, be treated as cancelled and a further communication will be sent to him in due course, if upon consideration of his representation, it is decided to offer his appointment to the post of Tax Assistant of Central Excise.

13. तेलंगाण / आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद / विशाखपट्टणम क्षेत्र के कर सहायक के सामान्य संवर्ग में उसकी परस्पर-वरिष्ठता लागू आदेशों के अनुसार तय की जाएगी।

His inter-se-seniority in the common cadre of Tax Assistant of Hyderabad/Visakhapatnam Zone in the State of Telangana/Andhra Pradesh will be fixed according to the orders in force.

14. उम्मीदवार को किसी भी समय तेलंगाण / आंध्र प्रदेश के संवर्ग नियंत्रण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता हैं। तेलंगाण / आंध्र प्रदेश के बाहर किसी अन्य आयुक्तालय में उनकी तैनाती से संबन्धित किसी भी निवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

The Candidate is liable to be transferred anywhere within Cadre Control jurisdiction of Telangana/Andhra Pradesh at any point of time. Under no circumstances the request for posting to any other Commissionerate outside Telangana/A.P. will be entertained.

15. उम्मीदवार अपनी धार्मिक आस्था बदलने की स्थिति में इसकी सूचना तत्काल नियुक्ति प्राधिकारी को दें।

The Candidate should intimate the appointing authority as and when he changes his religious faith.

16. अगर उम्मीदवार रोजगार हेतु पहले ही आवेदन दे चुका है / किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में बैठ चुका है तो उन्हें ड्यूटी पर रिपोर्ट करते समय यह सूचना भी देनी चाहिए। विभाग प्रमुख को आवेदन पत्र को आगे अन्य सरकारी कार्यालयों या कहीं और अग्रेषित करने या रोक लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।

The Candidate should also intimate at the time of reporting for duty, if he had already applied / appeared in any other competitive examination for employment. The Head of the Department has full discretion to forward or withhold any of his applications for appointment to other Government Offices or elsewhere.

17. यदि उम्मीदवार केन्द्र / राज्य सरकार / भारत सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रित या स्वामित्व वाले या राज्य सरकार / किसी उपक्रम / विश्वविद्यालय / स्वतंत्र निकाय, में कार्यरत है तो उसे संबन्धित नियोक्ता से प्राप्त उचित कार्यमुक्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

If Candidate is employed with Central/State Government / an Undertaking owned by or controlled by the Government of India or a State Government / an autonomous body / University / local body, he should produce proper relief report from the employer concerned.

18. यदि उम्मीदवार पद त्यागने के इच्छुक हैं तो उसे अपने इस अभिप्राय के विषय में 1 माह पूर्व नोटिस देना होगा और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर के क्षेत्राधिकारी आयुक्त से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसा न करने पर वे प्रासंगिक नियमों में उल्लेखित अर्थदण्ड के जिम्मेदार होंगे।

If Candidate desires to resign, he should give one month notice in advance about his intention to do so and must obtain written permission from the jurisdictional Commissioner of Customs, Central Excise & Service Tax. Failure to do so will render his liable to the penalties prescribed in the relevant rules.

19. यदि उम्मीदवार के पास कोई रोजगार नामांकन कार्ड (X◦10) है, तो उसे संबन्धित नियोक्ता/ प्रशासनिक प्राधिकरण को लौटाना होगा।

The Candidate should surrender his Employment Registration Card (X.10) held if any, to the Appointing / Administrative authority concerned, at the time of reporting for duty.

20. यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के होने का दावा करते हैं, तो उन्हें निर्धारित प्रारूप में (एम एच ए ओ एम संख्या 42/21/49-NGS दिनांक 28.01.1952 में यथानिर्धारित, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/28/94-Estt (Res) दिनांक 02.07.1997 में यथासंशोधित लागू), उल्लेखित किसी भी न्यायिक / राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वे नोट करें कि उनकी नियुक्ति अनंतिम होगी और उचित माध्यमों माध्यम द्वारा जाति / जनजाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है, यदि उनका अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के होने का या क्रीमी लेयर के न होने का दावा झूठा पाया पाया जाता है, तो उनके सेवाएँ बिना कोई कारण बताए और बिना पक्षपात के, भारतीय दंड संहिता में झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने संबन्धित आगे की कार्यवाही सहित समाप्त कर दी जाएंगी। उन्हें नियुक्ति के पश्चात अपने धर्म परिवर्तन की जानकारी, यदि कोई हो तो, तत्काल ही संबंधित नियुक्ति / प्रशासनिक अधिकारियों को देनी चाहिए।

If Candidate claims to belong to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other backward Classes, he has to produce a certificate issued in the prescribed format (as prescribed in M.H.A.O.M No. 42/21/49-N.G.S, dated 28.01.1952 as amended /DOPT O.M.No. 36033/28/94-Estt (Res) dated 02.07.1997 as applicable) by any of the Judicial / Revenue authorities mentioned therein. He should note that his appointment will be provisional and is subject to verification of the Caste / Tribe certificate through proper channels and that if the claim to belong to SC/ST/OBC or the Candidate does not belong to such category and the certificate is found to be false, his services will be terminated forthwith without assigning any reason and without prejudice to such further action that may be taken under the Indian Penal Code for production of false certificate. He should also intimate the change, if any, of her religion, after appointment, immediately to the Appointing/ Administrative Authorities concerned.

21. यदि उम्मीदवार के द्वारा की गई घोषणा या प्रस्तुत जानकारी गलग पाई जाती है या उनके द्वारा जानबूझकर किसी वैवाहिक जानकारी को छिपाया जाना पाया जाता है तो वे सेवाओं से हटाए जाने के और सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही के उत्तरदाई होंगे।

If any declaration given or information furnished by candidate is proved to be false or if he is found to have willfully suppressed any marital information, he will be liable for removal from service and other action as Government may deem necessary.

22. यह नियुक्ति प्रस्ताव पूर्ण रूप से अस्थायी है और संबन्धित जिला / पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी पूर्ववृत, संबन्धित जारीकर्ताओं द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शिक्षा प्रमाणपत्र की सत्यापन रिपोर्ट के प्राप्त होने के अधीन है। संबन्धित अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रतिकूल /

नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने के मामले में, सेवाएं किसी भी कारण या नोटिस के बिना बताए तुरंत समाप्त हो जाएंगी।

This offer of appointment is purely temporary and is subject to receipt of the antecedent verification report from the concerned District/ Police Authorities/ Caste certificate from the concerned issuing authority/ verification of certificate of education issued by the University/Competent Authority. In case any adverse / negative report is received from the concerned Authorities, the services will be terminated immediately without assigning any reason or notice.

23. नियमित तैनाती के पूर्व नव नियुक्त कर सहायक को संबधित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।

The newly appointed Tax Assistant should undergo the mandatory training in RTIs concerned before he is given a regular posting.

24. उक्त कर्मचारी के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1-खंड 1 दिनांक 22.12.2003 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं॰ 5/7/2003-ईसीबी व पीआर दिनांक 22.12.2003 के तहत अधिसूचित नई पेंशन प्रणाली लागू होगी। सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26(2) के तहत तकनीकी त्यागपत्र देकर उपरोक्त पद में पुनर्नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने वाले स्थाई सरकारी कर्मचारी के लिए यह लागू नहीं होगी।

The Candidate will be governed by the New Pension Scheme as notified vide Government of India, Ministry of Finance, Notification no. 5/7/2003-EECB & PR dated 22.12.2003- published in Gazette of India, Extraordinary, Part I-Section , I dated 22.12.2003. This will not apply to a permanent Government servant who joins the post on tendering Technical resignation under Rule 26(2) of CCS (Pension) Rules, 1972 on reappointment to the post.

25. यदि उम्मीदवार को उपरोक्त नियम व शर्तें स्वीकार्य हैं तो उनको 30.01.2019 को या उससे पहले **अपर आयुक्त(का व सत), हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय** के समक्ष ड्यूटी के लिए अपने मूल शैक्षिक/जाति/दिव्यांग प्रपत्रों के साथ उपस्थित होना होगा । यदि वे नियत तिथि पर से उससे पूर्व ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होते है तो यह नियुक्ति आदेश, उन्हें बिना किसी भी संदर्भ को सूचित किए हुए, रद्द समझा जाएगा। तैनाती स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु उन्हें कोई भी यात्रा या अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

The Candidate should report for duty before the **Additional Commissioner (P&V) Hyderabad GST Commissionerate on or before 30.01.2019** along with original Education/Caste/PH certificates, if the above terms and conditions of appointment order are acceptable to him. If he fails to report for duty on or before the stipulated date, this appointment order will be treated as cancelled without making any further reference to him. No traveling or any other allowance will be admissible to her for joining at the place of posting.

(पी.डी. पुली P.D. PULI)
अपर आयुक्त (का व सत)
ADDITIONAL COMMISSIONER (P&V)

प्रति **To**

संबन्धित व्यक्ति को The Individual

प्रतिलिपि Copy to:

1. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद /वैजाग क्षेत्र।
The Chief Commissioner, Customs & Central Tax, Hyderabad/Vizag zone.

2. सभी आयुक्त, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर,हैदराबाद/वैजाग क्षेत्र
All the Principal Commissioners/Commissioners of Customs & Central Tax, Hyderabad/Vizag Zone.

3. सभी मु॰ले॰अ॰/ वे॰ले॰अ॰, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद/वैजागक्षेत्र
All the CAO/PAO, Customs & Central Tax, Hyderabad/Vizag Zone.

4. नोटिस बोर्ड / स्टॉक फ़ाइल Notice Board/Stock File.

(पी॰डी॰ पुली P.D. PULI)
अपर आयुक्त (का व सत)
ADDITIONAL COMMISSIONER (P&V)